# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़
**(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)**
**पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.**

---

**प्र.सं. 12/2023**
**जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/8**
मनोहरलाल पुत्र सुगनाराम, निवासी पृथ्वीपुरा रसाला मार्ग, हरिजन बस्ती जोधपुर
**—अपीलार्थी**

**बनाम**

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना
**—प्रत्यर्थी**

## अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम
**—:: निर्णय ::—**

दिनांक : 01.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी घड़साना के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी के भाई भवंरलाल पुत्र मालादीन के नाम से सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा गांव 1 केएचएम में खसरा नं. 154/10 कमाण्ड कृषि भूमि की खातेदारी के सनद दिनांक 29.07.2000 को जारीशुदा हैं जो कि वर्तमान में इससे संबंधित सूचना उपखण्ड अधिकारी घड़साना से संबंधित हैं चाही गयी सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं। सूचना दिलाने के लिए निवेदन किया।

प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी घड़साना के द्वारा प्रेषित टिप्पणी क्रमांक/पीए/2024/265 दिनांक 31.11.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया हैं कि प्रार्थी को उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/2022/1558 दिनांक 27.07.2022 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका हैं। अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर भंवरलाल पुत्र मालादीन के नाम से 1 केएचएम में खसरा नं. 154/10 कमाण्ड भूमि खातेदारी जिसकी सनद दिनांक 29.07.2000 को जारीशुदा हैं से संबंधित पत्रावली की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह भी अंकित किया हैं कि प्रकरण सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ का था। प्रार्थी द्वारा आवेदन के साथ उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के पत्र दिनांक 195 दिांक 28.02.2022 की प्रति संलग्न की गयी हैं जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के द्वारा आवेदक को सूचना प्रदान की गयी हैं कि उनके द्वारा आवंटन के संबंध में चाही गयी सूचना उपखण्ड अधिकारी घड़साना से संबंधित होने के कारण उनका सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन उपखण्ड अधिकारी घड़साना [illegible] किया गया था।

उपखण्ड अधिकारी घड़साना के [illegible] करवायी गयी हैं कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार 1 [illegible] 154/10 स्थित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में चाही गई सूचना दिया जाना सम्भव नहीं हैं।

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना [illegible] दिए जाने का के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से भवंरलाल पुत्र मालादीन के नाम से 1 केएचएम मु.नं. 154/10 कमाण्ड खातेदारी भूमि की आवंटन पत्रावली संबंधित सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रति उत्तर प्रेषित किया गया हैं कि मु.नं. 154/10, 1 केएचएम में स्थित नहीं हैं। लोक सूचना अधिकारी को चाहिए था कि यदि उनके कार्यक्षेत्र में मु.नं. 154/10 आता हैं तो वे आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गयी विशिष्टियों के आधार पर पत्रावली की

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:41:23 IST
Reason: SelfAttested

तलाश कर आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाते। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार कर प्रकरण लोक सूचना अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा प्रकरण लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि यदि उनके कार्यक्षेत्र में मु.नं. 154/10 आता हैं तो वे आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गयी विशिष्टियों के आधार पर पत्रावली की तलाश कर आवेदक को 15 दिवस में वांछित सूचना उपलब्ध करावें अथवा मु.नं. 154/10 उनके कार्यक्षेत्र में नहीं होने या वांछित सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अपीलार्थी के आवेदन पत्र पर सूचना का अधिकार अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत पुनः विनिश्चय पारित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना) I.A.S
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:41:23 IST
Reason: SelfAttested